न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्री गौरव बुडानिया आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 29 / 2021–वाद पत्र	दायर दिनांक 20.04.2021	निर्णय दिनांक 04.07.2023

उनवान

भूला पत्नी श्रीकिशन रेगर निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादिया

बनाम

1– बाली पत्नी रामस्वरूप रेगर निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
3– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी : अभिभाषक वादिया

वाद पत्र बंटवाड़ा आराजियात अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

–:: निर्णय ::–

वादिया द्वारा एक वाद पत्र बाबत बटवाड़ा आराजियात का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :– वादिया की संयुक्त काश्त की कृषि भूमि ग्राम नासरदा प0ह0 आमली कलां भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074 से 77 की खाता सं0 129 में स्थित खसरा संख्या 777 रकबा 0.22 है0, 778 रकबा 1.95 है0, 779 रकबा 0.13 है0 कुल किता – 3 रकबा 2.3000 है0 स्थित है। वादिया जेठानी एवं प्रतिवादी संख्या 01 देवरानी है और एक ही परिवार से संबंधित है। मौके पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्डस पद्धति से विभाजन कर रखा है। और अपने अपने हिस्से पर काबिज है। मौके पर वादिया ने अपने हिस्से पर सुरक्षा हेतु तारबंदी भी कर रखी है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त खाता होने से सरकारी बैंक एवं गरीब व्यक्ति को दी जाने वाली सरकारी सहायता हेतु एवं अन्य कार्यों जैसे निराई गुडाई फसल बुवाई हंकाई कटाई में भी समस्या आती है। वादिया को अपने हिस्से की कृषि भूमि को अधिक उपजाउ बनाने एवं उसमें सुधार कार्य करने में भी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बार बार ऐतराज होने से समस्या आती है। वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को मौखिक बंटवाड़ा कराने की कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मना कर दिये जाने से भी वाद हेतु पैदा होकर जारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादिया के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध बंटवाड़ा डिक्री इस आशय की प्रदान की जावे कि पेरा संख्या 01 में वर्णित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा किया जावे। जिसकी पालना प्रतिवादी सं0 03 से करवायी जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। पेशी दिनांक 18.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अभिभाषक श्री राहुल पारीक एवं प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अभिभाषक श्री गौरव पालीवाल द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा जाकर अण्डर टेकिंग ली गयी। दिनांक 12.04.2023 तक अभिभाषकगण द्वारा प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गयी। एवं प्रतिवादीगण सं0 03 के विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अभिभाषक वादिया द्वारा साक्ष्य के रूप में वादिया स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक वादिया द्वारा बहस हेतु निवेदन किये जाने से बहस अभिभाषक वादिया सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादिया ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्य एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन

G/-

AnyScanner

एवं प्रकरण तथा राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेख प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम नासरदा पटवार हल्का आमली कलां भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा संवत् 2074–2077 खाता संख्या 129 आराजी सं0 777 रकबा 0.2200 है0, 778 रकबा 1.9500 है0, 779 रकबा 0.1300 है0 कुल किता 3 रकबा 2.3000 में वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 01 संयुक्त सह खातेदार दर्ज होकर प्रत्येक का 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। अतः राजस्व रेकार्ड से वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम नासरदा पटवार हल्का आमली कलां भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा संवत् 2074–2077 खाता संख्या 129 आराजी सं0 777 रकबा 0.2200 है0, 778 रकबा 1.9500 है0, 779 रकबा 0.1300 है0 कुल किता 3 रकबा 2.3000 का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कब्जे को ध्यान में रखते हुए किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 500/– रूपये कमीशन फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर वादीगण से प्राप्त करें। बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर भिजावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। डिक्री की प्रमाणित प्रति भेजी जाकर पालना हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(गौरव बुडानिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)

AnyScanner

प्राथमिक डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्री गौरव बुडानिया, (आई0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

भूला पत्नी श्रीकिशन रेगर निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादिया

बनाम

1– बाली पत्नी रामस्वरूप रेगर निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
3– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवाड़ा आराजियात अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

मुकदमा नम्बर 29 सन् 2021 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम नासरदा पटवार हल्का आमली कलां भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा संवत् 2074–2077 खाता संख्या 129 आराजी सं0 777 रकबा 0.2200 है0, 778 रकबा 1.9500 है0, 779 रकबा 0.1300 है0 कुल किता 3 रकबा 2.3000 का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कब्जे को ध्यान में रखते हुए किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 500/– रूपये कमीशन फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर वादीगण से प्राप्त करें। बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर भिजावें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 04 माह 07 सन् 2023** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(गौरव बुडानिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)

AnyScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

भूला पत्नी किशन रेगर निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादिया

बनाम

1– बाली पत्नी रामस्वरूप रेगर निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा आराजियात
अन्तर्गत धारा 53 रिजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 39 सन् 2023 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

मुताबिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार शाहपुरा वाके ग्राम नासरदा प0ह0 आमली कलां भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजियात 777 रकबा 0.32 है0, 778 रकबा 1.95 है0, 779 रकबा 0.13 है0 किता–3 रकबा 2.3000 है0 का वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 01 के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है –

1– वादिया भूला पत्नी श्रीकिशन रेगर सा0 नासरदा के नाम दर्ज की जावे –

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म
1	778 में से	0.98 है0	बा0 I
2	779	0.13 है0	बा0 I
3	किता–2	1.11 है0	–

2– प्रतिवादिया बाली पत्नी रामस्वरूप रेगर सा0 नासरदा रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा बच्छखेड़ा के नाम दर्ज की जावे –

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म
1	777 में से	0.2060 है0	बा0 I
2	778 में से	0.9040 है0	बा0 I
3	किता–2	1.11 है0	–

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

- वादिया एवं प्रतिवादिया के नाम शामलाति दर्ज की जावे –

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म
1	777 में से	0.0140 है0	–
2	778 में से	0.0660 है0	–
3	किता–2	0.0800 है0	–

उपरोक्तानुसार तहसीलदार शाहपुरा बंटवाड़ा कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज एवं नक्शें मे तरमीम की कार्यवाही करें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 06 माह 08 सन् 2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

AnyScanner